JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue

JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)

An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बालिका उत्पीड़न के उन्मूलन में नैतिक शिक्षा का महत्व एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

[1]अर्चना कुमारी एवं [2]डॉ० कुमारी सरोज

[1]शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र, बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

[2]एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, नीतीश्वर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

सारांश : बालिका उत्पीड़न प्राचीन काल से ही एक सामाजिक मुद्दा रहा है। वर्तमान समय में बालिका उत्पीड़न के नये–नये आयाम समाज में दृष्टिगोचर हो रहा है जो स्वस्थ्य समाज के निर्माण में एक चुनौती है। सरकार के द्वारा समय–समय पर अधिनियम बनाकर उत्पीड़न को रोकने का प्रयास किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम 2012 की कतिपय धाराओं यथा धारा 19(i) एवं 21 में विहित प्रावधान जो समस्त कर्मियों को दायित्वबद्ध करते हैं, कि बलिका उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं पर तत्काल प्रसंज्ञान लिया जाए। नियमानुसार कार्यवाही समाप्ति की जाए। बदलते परिवेश में बालिका उत्पीड़न के आयाम में घरेलू हिंसा भी हो रहे हैं इसमें शारीरिक दुर्व्यवहार व भावनात्मक एवं मानसिक यातना आदि आते हैं। जिसे नैतिक शिक्षा के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। नैतिकता सभ्य समाज का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक कार्य को सम्पादित करने में नैतिक आधार होता है। नैतिकता एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें सही कार्य करने की भावनाओं को व्यवस्थित करना और गलत कार्य करने की भावनाओं को समाप्त करने की प्रेरणा शामिल है। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के जीवन की अभिव्यक्ति से है। जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता, महत्व, अनिवार्यता व अपरिहार्य तो जरूरी है ताकि वे अपने परिवार के साथ–साथ सामाजिक और देश के प्रति दायित्व को भी निभा सके। नैतिकता सामाजिक जीवन को सुगम एवं सुन्दर बनाती है।

प्रमुख शब्द :– उत्पीड़न, उन्मूलन, नैतिकता, अपरिहार्यता।

प्रस्तावना :– बालिकाओं की परिस्थिति समय के चक्र के साथ बदलती गई और उत्पीड़न के स्वरूप व घटना में वृद्धि होती गई। वैदिक काल में भारतीय समाज में बालिकाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और समाज में उनकी स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। परिवार में उनको महत्व दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल से इनकी स्थिति में गिरावट आयी है। धर्मशास्त्र काल मनुस्मृति को व्यवहार की कसौटी मानकर वैदिक नियमों को तिलांजली दे दी गयी। इस काल में बालिकाएँ सामाजिक और धार्मिक संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनी। मध्यकाल में बालिका उत्पीड़न की घटना बढ़ी तथा उनकी सामाजिक स्थिति दयनीय हो गई। भारतीय संस्कृति की रक्षा मुगलों से करने के लिए ब्राह्मणों ने कई नियमों का प्रावधान किया। परिणाम स्वरूप बालिकायें अपने अस्तित्व के लिये पूर्ण रूपेण पुरूषों पर निर्भर हो गयी। ब्रिटिश काल में अनेक सुधार आन्दोलन हुए जिसके परिणामस्वरूप बालिकाओं की स्थिति में सुधार हुआ।

स्वतंत्रता पश्चात बालिकाओं की स्थिति में सुधार हुआ। लोगों का दृष्टिकोण बदला तथा वे बालिकाओं को भी मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया तथा उनके लिए भी समान अवसर उपलब्ध

करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में भी समान सहभागिता के अवसर प्रदान किये गये। आज बदलते परिवेश में नये–नये तकनीकों का विकास हो रहा है। कार्य करने के तरीके बदल रहे हैं पर हमारे समाज की सोच में अभी भी बदलाव की काफी जरूरत है। आधुनिकता तथा भौतिकवादी सोच के कारण मानवीयता तार–तार हो रही है। परिणाम स्वरूप बालिकाओं के प्रति सदव्यवहार में कमी आयी है। बालिकायें उत्पीड़न की शिकार हो रही है। समाज में शिक्षा तो प्रदान की जा रही है पर उसके विभिन्न आयामों में से एक नैतिक शिक्षा है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर समुचित ढंग से नैतिक शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया जाए तो बालिका अपराध व उत्पीड़न की घटना में कमी आ सकती है। नैतिक शिक्षा नैतिक आचरण एवं व्यवहार के लिए दी जानेवाली वह शिक्षा है जिसके फलस्वरूप बालिकाओं एवं बालकों में नैतिकता का विकास होता है। मानव चरित्र के सर्वमान्य मानवीय गुणों को अपनाना ही नैतिकता है। इसमें धर्म, सदाचरण, नैतिक कर्तव्य और मानवीय गुण आदि सभी आते हैं। नैतिकता जन्मजात नहीं होती है बल्कि इसे अर्जित किया जाता है। वास्तव में नैतिक आचरण एवं व्यवहार समाज द्वारा अर्जित या सीखा हुआ व्यवहार है। पहले इसे अनुकरण से फिर अपने विचारों और आदर्शों के अनुसार ग्रहण करता है। यह कार्य बालक परिवार, विद्यालय, मित्र मण्डली, समाज व वातावरण आदि के मध्य रहकर ही कर सकता है। बच्चों को परिवार, विद्यालय, मित्र मण्डली, धर्म, सामाजिक और नैतिक मूल्यों से नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

(i) बालिका उत्पीड़न के प्रति अवधारणाओं का अध्ययन करना।
(ii) बालिका उत्पीड़न के बदलते स्वरूप का अध्ययन करना।
(iii) नैतिक शिक्षा के विकास का अध्ययन करना।
(iv) नैतिक शिक्षा के महत्व का अध्ययन करना।

प्राचीन एवं अर्वाचीन विचारक नारी को संस्कृति एवं सभ्यता का मेरूदंड मानते हैं। विश्व की सभी संस्कृतियों में नारी के प्रति विशेष उदार और उन्नत विचार रखे गये हैं। नारी को शक्ति का महान भण्डार और परिवार की नींव माना गया है। चूंकि परिवार समुदाय की नींव है और समुदाय राष्ट्र की। अतएव नारी ही समाज व राष्ट्र की नौका की वास्तविक कर्णधार है परन्तु इस सबके पश्चात् भी व्यवहारिक स्वरूप से स्त्री की स्थिति ऐसी नहीं है। समय के साथ इसमें अनेक परिवर्तन भी आए हैं। बालिका व उत्पीड़न एक सार्वभौमिक प्रघटना है, कोई भी काल एवं परिस्थितियाँ रही हो, प्रत्येक समाज में बालिकाओं की स्थिति सदैव ही दोयम दर्जे की रही है। पुरूष के समक्ष उसे सदैव ही कमजोर और निम्न स्तर का माना गया है और यह विश्वास प्रकट किया गया कि उसे सदैव पुरूष के अधीन ही रहना चाहिए।

बालिका उत्पीड़न :– उत्पीड़न सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कार्य अथवा व्यवहार है जिसमें दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुँचता हो, दूसरे शब्दों में यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये कार्यों या व्यवहारों से कष्ट, तकलीफ या परेशानी अनुभव करता है और जिससे उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो इसको हम उत्पीड़न के अर्थ में समझते हैं। उत्पीड़न के बदलते स्वरूप की जब बात करते हैं तो इसमें अनेक नवीन आयाम सहज ही जुड़ जाते हैं – जैसे बलात्कार, बलात्कार के प्रयास, छेड़–छाड़, अपहरण, दैहिक शोषण, कन्या शिशु हत्या, कन्या

भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, मारपीट, ये संदर्भ बालिकाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा स्थापित करने में चुनौति के रूप में काम करते हैं।

वस्तुतः बालिका उत्पीड़न कोई सीमित या संकुचित अवधारणा नहीं है जिसे खुली आँखों से एक बार देखा और समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए तो सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक संगठन को देखना अनिवार्य है। बालिका उत्पीड़न की अवधारणा इसी सामाजिक व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था और सांस्कृतिक आयामों से जुड़ी हुई है और इन्हीं के संदर्भ में इसे विवेचित भी किया जा सकता है। उत्पीड़न केवल शारीरिक ही नहीं वरन् मानसिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न भी उत्पीड़न के वे स्वरूप हैं जो किसी भी व्यवस्था में इसकी सामाजिक स्थिति को प्रतिस्थापित करते हैं।

बालिका उत्पीड़न के बदलते स्वरूप :– सामान्यतः वर्तमान समय में बालिकाओं के उत्पीड़न के स्वरूप में विभिन्न आयाम जुड़ गये हैं जो निम्न हैं –

(1) शारीरिक उत्पीड़न
(2) मानसिक उत्पीड़न
(3) मौखिक उत्पीड़न
(4) आर्थिक उत्पीड़न
(5) यौन उत्पीड़न
(6) सामाजिक उत्पीड़न
(7) सांस्कृतिक उत्पीड़न
(8) पारिवारिक उत्पीड़न

1. शारीरिक उत्पीड़न :– विश्व स्वास्थ्य संगठन ने School of Hygiene and Topical Medicine and Medical Research Council के साथ शोध में पाया कि लगभग 35 प्रतिशत बालिकाएँ अपने आस–पास व परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़ीत होती है।

2. मानसिक उत्पीड़न :– एक से अधिक बार एक ही बात को लेकर बालिकाओं को कचोटना मानसिक उत्पीड़न है। यह कार्य घर, परिवार, समाज तथा विद्यालय व कार्यस्थल पर होता है।

3. मौखिक उत्पीड़न :– जब बालिकाओं के लिए वैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो उनके भावनाओं व सम्मान को ठेस पहुँचाता है। ऐसे शब्दों के नुकीले बाणों के प्रहार को मौखिक उत्पीड़न कहते हैं।

4. आर्थिक उत्पीड़न :– जब आर्थिक लाभ के लिए बालिकाओं से अमर्यादित तथा अमानवीय कार्य कराया जाता है।

5. यौन उत्पीड़न :– भारत में बालिकाओं के साथ हर 29 मिनट में बलात्कार व उत्पीड़न की घटना होती रहती है।

6. सामाजिक उत्पीड़न :– कोविड–19 के कारण लोग घर से ऑफिस का काम करने लगे। बालिकायें भी इससे अछुती नहीं रही। इस दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या वर्चुअल यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। अभद्र व्यवहार करना, अश्लील कमेन्ट करना, अश्लील हाव–भाव करना आदि। इस प्रकार के हरकतों को रोकने के लिए मौजूदा कानून कार्य स्थल पर महिलाओं व बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 के अधीन ही शिकायत की जा सकती है। पर इसके दायरा को और भी विस्तृत करने की आवश्यकता है।

7. सांस्कृतिक उत्पीड़न :– बालिकाओं को सामाजिक, पारिवारिक, मूल्यों की दुहाई देकर उनकी स्वतंत्रता का कुन्द कर दिया जाता है और व्यवहार करने की सीमा निर्धारित कर दी जाती है जिससे वे घुटन की जीवन व्यतीत करते हैं।

8. पारिवारिक उत्पीड़न :– आज भी बालिकाओं को परिवार की नियमों, मूल्यों तथा संस्कार की उदाहरण देकर भावनाओं की भ्रूण को अकाल ही समाप्त कर दी जाती है।

नैतिक शिक्षा के विकास :– नैतिक आचरण एवं व्यवहार के लिए दी जानेवाली वह शिक्षा जिसके फलस्वरूप बालक में नैतिकता का विकास होता है। मानव चरित्र व व्यवहार के सर्वमान्य मानवीय गुणों को आत्मसात करना ही नैतिकता है।

सभी समाज अपने सदस्यों को उचित अनुचित व्यवहार का ज्ञान देता है जिसे हम नैतिक व्यवहार कहते हैं। समाज के सदस्य जो कि प्रत्येक घर में होते हैं। कभी भी किसी को गलत शिक्षा नहीं देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो समाज का बड़ा या छोटा सदस्य हो, उसे उचित शिक्षा प्रदान की जाती है। बचपन से लेकर युवा अवस्था में प्रवेश तक उसे पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक दायित्वों के निर्वहन की प्रेरणा दी जाती है। अगर बच्चे समाज के बने हुए नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे समाज के बड़े लोग अनुशासन सिखाते हैं और सचेत करते हैं। बच्चे में नैतिक व्यवहार ठीक से रहे और वे सदैव आगे बढ़ते रहे इसका प्रयास प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है और वह अपने से छोटों का सदैव मार्ग दर्शन करता है तथा उसे हमेशा प्रेरित करता है कि वह अपने से बड़े उम्र वाले सभी सदस्यों का सम्मान करे और सदैव आगे बढ़े। नैतिक विकास की प्रक्रिया उम्र के अनुसार बढ़ती रहती है। जैसे–जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, वह अपने आस–पास सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों के साथ ज्यादा व्यवहारिक एवं सहायता करने वाला तथा सभी के साथ समान व्यवहार करने लगता है। यह प्रक्रिया विकास को इस प्रकार गतिमान बनाती है कि वह अपना धर्म–कर्म एवं व्यवहार सब कुछ नैतिकता को मानता है व उसी के अनुरूप अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है। अच्छा–बुरा, ऊँच–नीच का अंतर समझते हुए आपसी सहयोग एवं भ्रातृत्व भाव तथा वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का विकास करता है। सहज मूल्य पूरक एवं मूल्य आधारित जीवन शैली एवं व्यवहार करने से समाज एवं परिवार का वातावरण अच्छा एवं सकारात्मक रहता है।

नैतिक शिक्षा का महत्व :– नैतिक शिक्षा के द्वारा समाज के सदस्यों में स्वच्छ व सदाचार के गुणों का संचार किया जा सकता है। भौतिकवादी व यांत्रिक सोच तथा व्यवहार को नियंत्रित करने में अहम भूमिका होती है। दूसरी ओर नैतिक शिक्षा शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा

करता है साथ ही साथ तार्किक विकास में भी सहायक होता है। व्यक्ति के अन्दर आध्यात्मिक विकास करता है। अनेक शिक्षाविदों का कहना है कि चरित्र निर्माण में नैतिक शिक्षा का महत्व अत्यधिक है। महात्मा गाँधी और हरबर्ट आदि शिक्षाविदों ने माना कि नैतिक शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक–बालिकाओं में चरित्र निर्माण करना है। किसी भी देश की लोकतांत्रिक चरित्र के निर्माण में नैतिकता का विशेष महत्व है। नैतिकता के द्वारा समाज में फैले अनेक प्रकार के व्यभिचार, कुरितियों तथा अमानवीय व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है तथा कल्याणकारी व लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना की जा सकती है।

निष्कर्ष :– नैतिक शिक्षा बालिका उत्पीड़न उन्मूलन में एक औषधि का प्रयाय है। क्योंकि उत्पीड़न व्यक्ति के मन व दृष्टिकोण में समाहित होती है और जबतक उस अमानवीय चेतना को समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक स्वच्छ मानसिकता का विकास नहीं हो सकेगा। अतः हमें मूलरूप से नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही स्वच्छ वातावरण कायम करना होगा व स्वस्थ्य भारत का निर्माण करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1] आहूजा राम – भारतीय सामाजिक व्यवस्था।

[2] कोठारी ममता – शिक्षा और समाज।

[3] श्रीवास्तव सीमा – यौन उत्पीड़न।

[4] ब्यास हरीश चन्द्र – नैतिक शिक्षा